

No.1/6/2018-E.III/ 705-c 6
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. Water Resources, RD&GR
Central Water Commission

3rd floor, Sewa Bhawan,
R. K. Puram, New Delhi - 110066
Dated, 23.12.2020

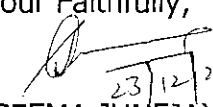
In terms of the provisions of the CCS(Leave) Rules 38-A, as amended by Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension, DOPT's OM No.14028/4/2009-Estt.(L), dated 3.6.2009, an amount of Rs.23,205/- (Rupees Twenty three thousand two hundred five only) is sanctioned to Shri Suneet Bansal, AD on account of encashment of 10 days Earned Leave with following details:-

1.	Name of the Officer	Shri Suneet Bansal
2.	Basic Pay	Rs. 59,500/-
3.	LTC for the Block year	2020 S. C. P. (Home Town)
4.	Earned Leave availed for LTC	-----
5.	Earned Leave encashed for LTC	10 (days)
6.	Amount of encashment payable	Rs. 23,205/-
7.	Earned leave deducted	10 (days)
8.	Balance Of Earned Leave	48 (days)
9.	Balance EL for availing Leave encashment on LTC	60-10=50 (days)

Head of Account: 2701800010100015-D&A financial year-2020-21

Necessary entry in this regard has been made in the Service Book of Shri Suneet Bansal, AD.

Your Faithfully,


(SEEMA JUNEJA)
SECTION OFFICER
BPL : 3319

TO

The Pay & Accounts Officer, CWC, New Delhi.

Copy To:-

1. Section Officer, A/cs.III Section, CWC (2 copies)
- ✓ 2. Shri Suneet Bansal, AD, FCA II (Dte.) New Delhi.

No. 1/6/2018-स्था0.तीन/687-39.

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन

तीसरी मंजिल, सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम, दिल्ली-110066.
दिनांक 23.12.2020.

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन एवं वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 12 (2)/2020 E-II (A) दिनांक 12.10.2020 एवं 20.10.20 के अनुसरण में श्री Suneet Bansal सहायक निदेशक, को वर्ष 2020 (गृह नगर) के बदले में (LTC Cash Voucher) के उपयोग करने पर रूपए 10,000/- (Ten thousand Only) की अग्रिम राशि की, जो उस अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित है, जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी की 12 प्रतिशत एवं अधिक जीएसटी वाले सामान एवं सेवा की खरीदारी पर करनी होगी, की अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद्वारा प्रेषित की जाती है । अग्रिम का समायोजन अधिकारी के बिल से किया जायेगा ।

2. श्री Suneet Bansal सहायक निदेशक के परिवार के सदस्यों (LTC Cash Voucher) का लाभ लेने वाले का ब्योरा निम्नलिखित है :-

S.N.	Name	Relation	Age	Amount	Leave encashment
1	Shri Suneet Bansal	स्वयं	27 वर्ष	Rs.10000/-	Yes
Total				Rs.10000/-	

- 1 इनका मूल वेतन रू0 59,500/- प्रतिमाह है ।
- 2 श्री Suneet Bansal सहायक निदेशक अस्थायी है । अतः इनसे जमानत लेना आवश्यक है ।
- 3 उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701: 80-General; 80.001- D&A; 01.00.01 वेतन (NP) वित्तीय वर्ष 2020-21 में समायोजित किया जाएगा ।

भवदीया
(सीमा जुनेजा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :

- 1 अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के0 ज0 आ0, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी0एफ0एम0एस0सहित)
- ✓ श्री Suneet Bansal, सहायक निदेशक, F.C.A.II निदेश के0 ज0 आ0 नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 12 (2)/2020 E-II (A) दिनांक 12.10.2020 का पालन
- नोट:- बिल लेखा- एक अनुभाग, के0 ज0 आ0, को प्रस्तुत करना होगा ।